दिनांक 06, 07 एवं 08 नवम्बर, 2017 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 2965/110/तीन/97–VII दिनांक 01–11–2017, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 06, 07 एवं 08 नवम्बर, 2017 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों (सी0एम0एम0) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2017 की समीक्षा में सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत SHG गठन की प्रगति 44 शहरों यथा बलिया, राबर्टसगंज (सोनभद्र), गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, बागपत, चन्दौली, कैराना (शामली), वाराणसी, ज्ञानपुर (भदोही), मऊ, आजमगढ़, मवाना (मेरठ), भदोही, हरदोई, सरदाना (मेरठ), गुलाठी (बुलन्दशहर), मुगलसराय (चन्दौली), लखनऊ, फर्रुखाबाद, बांदा, बस्ती, बरेली, उरई (जालौन), झांसी, कीरतपुर (बिजनौर), कानुपर नगर, नजीबाबाद (बिजनौर), शाहजहॉपुर, कन्नौज, गजरौला (अमरोहा), शेरकोट (बिजनौर), चॉदपुर (बिजनौर), हाथरस, पड़रौना (कुशीनगर), अलीगढ़, गोरखपुर, कासगंज, प्रतापगढ़, लहरपुर (सीतापुर), इलाहाबाद, गनगोह (सहारनपुर), बिसवॉ (सीतापुर) एवं महमूदाबाद (सीतापुर) की प्रगति 75 प्रतिशत से कम पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया।

उक्त शहरों के परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक को नवम्बर माह तक का तदानुसार लक्ष्य पूर्ण किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये।

SM&ID घटक के अन्तर्गत SHG को RF के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि की समीक्षा में पाया गया कि यथा जनपद बागपत, बड़ौत (बागपत), गाजीपुर, राबर्टसगंज (सोनभद्र), बरेली, बिजनौर, रामपुर, अमेठी, बहराइच, फैजाबाद, पड़रौना (कुशीनगर), लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर में घटक के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होते हुए भी RF अवमुक्त नहीं किया गया है जिस पर गहरी अप्रसन्ता व्यक्त की गयी है तथा अन्य शहरों में भी RF अवमुक्त की प्रगति अत्यन्त धीमी होने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी अर्ह 03 माह के क्रियाशील SHG को RF अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समीक्षा में पाया गया कि 06 शहरों यथा ज्ञानपुर (भदोही), कन्नौज, शाहजहॉपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), हरदोई एवं पड़रौना (कुशीनगर) में SHG गठित होने के उपरान्त भी अभी तक क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स (ALF) का गठन नही किया गया है जिसको गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए प्रत्येक दशा में इसी माह नवम्बर में ALF का पंजीकरण कराकर रिर्पोट करें।

ALF को स्वच्छता एक्सीलेन्स अवार्ड की गाइडलाइन सूडा उ0प्र0 के वेबसाइट पर अपलोड है जिससे अध्ययन कर ALF को नामांकित किये जाने हेतु युद्ध स्तर पर तैयारी कर तत्काल एस0यू0एल0एम0 सूडा उ0प्र0 से सम्पर्क कर नामांकन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वीकार्य नही है। सभी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ नामांकन ससमय प्रत्येक दशा मेंनवम्बर, 2017 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन कराये, SHG सदस्यों के बैंक में बचत खाता खुलवायें तथा बचत खाते प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत भी खुलवाकर रिपोर्ट करें।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय

स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइन्नेंस का लाभ भी इस घटक एवं DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को सूचीबद्ध किये जाने के निर्देष दिये गये। समूहों की सूचीबद्ध संलग्न निर्धारित प्रारुप पर की जाय। गठित सभी समूहों को सूचीबद्ध करते हुए उनके उत्साहवर्धन हेतु डूडा कार्यालय में बुलाकर बैठक आयोजित की जाय तथा उत्पादन से सम्बद्ध समूहों की सूचीबद्धता प्राथमीकरण के आधार पर की जायेगी तथा निर्धारित प्रारुप पर अंकन भी उसी क्रम में किया जायेगा।

क्र. सं.	स्वयं सहायता समूह का नाम	लोकेशन (पता)	समूह गठन (तिथि/ माह एवं वर्ष)	समूह के अध्यक्ष/सचिव /कोषाध्यक्ष का नाम व मो0नम्बर		रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हाँ/ नहीं	बैंक लिंकेज हाँ/ नहीं	समूह द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का नाम	समूह द्वारा उत्पादित उत्पाद का नाम	विक्रयश्रोत (उत्पादकों की बिक्री कैसे और कहां की जा रही है)	समस्याएं	समस्या समाधान हेतु सुझाव
				नाम	मो0नं0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 2 3								
				1 2 3								

CMM, CMMU DUDA PO, DUDA

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति बेहतर करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से सूडा उ0प्र0 द्वारा 04 शहरों यथा वाराणसी, लखनऊ, कानुपर नगर तथा गोरखपुर के साथ ही एस0यू0एल0एम0 सूडा द्वारा माडल CLC जयपुर का भ्रमण कर किया गया है जिसके क्रम में सभी को बिजनेस प्लान तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र भेजा गया। सभी शहर उक्त प्रपत्र पर बिजनेस प्लान तैयार कर उपलब्ध कराये तथा तदानुसार संचालन भी तेजी से करात हुए आत्म निर्भरता की तरफ CLC को ले जाय।

CLC के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु तहसील दिवस में बैनर एवं शहरों में होर्डिंग्स के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय साथ ही विभिन्न प्रकार की बैठकों एवं अन्य आयोजनों का भी व्यापक चर्चा कर प्रचार प्रसार किया जाय। मुख्यालय स्तर पर संचालित टोल फ्री नं0 1800 1800 155 का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। CLC को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, मॉल, बिजनेस हाउस एवं अन्य इण्डस्ट्रीज से सम्पर्क कर कार्य लेकर CLC में पंजीकृत कामगारों के माध्यम से कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाय। मुख्य रुप से आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध SHG का पंजीकरण उन्हें तकनीकी सहायता पैकेजिंग ब्रांडिग गुणवत्ता आधारित उत्पादन आदि हेतु सहायता की जाय तथा CLC के माध्यम से SHG उत्पादों की मार्केटिग करायी जाय।

मेरठ, कन्नौज, शाहजहॉपुर, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, बस्ती एवं हापुड़ शहरों में CLC स्वीकृत के एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि संचालन न प्रारम्भ होने की दशा में अवमुक्त धनराशि मय ब्याज के साथ सूडा उ0प्र0 को वापस करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के साथ ही घटक के अन्तर्गत लक्ष्य पूर्ण हेतु निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने की रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये तथा **"मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृष्टिगत घटक के सभी गतिविधियों में तदानुसार नवम्बर माह तक के लक्ष्यों को सम्मिलित कर प्रगति सुनिश्चित की जाय।"**
2. सन्दर्भ संस्थाओं के लम्बित भुगतान अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय सीमा में न किये जाने की स्थित पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुबन्ध के अनुसार तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

SUH- वर्ष 2014–15 में शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत आश्रय गृहों में निम्नलिखित शहरों के शेल्टर होम पूर्ण हो गये है/पूर्ण होने वाले है, के सन्दर्भ में प्रकरण के रिट याचिका संख्या– 55/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही निरन्तर मॉनीटरिंग के दृष्टिगत सभी निर्माण कार्य पूर्ण शेल्टर होम को तत्काल संचालित कराये जाने के निर्देश दिये गये है:–

Sl.No	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	Sanctioned Details		FOR NO. OF PERSON'S	Physical progress
				DPR SANCTIONED DATE	TYPE OF SHELTER (NEW CONSTRUCTION/ UP GRADATION)		
1	2	3	4	5	6	7	14
1	Kanpur Nagar	1	Shivli Road	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	60	100%
		2	Pahadpur	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	60	100%
2	GHAZIABAD (M Corp.)	3	Mohiddinpur	19.12.2014	NEW CONSTRUCTION	100	100%
		4	Ghukna	19.12.2014	NEW CONSTRUCTION	100	100%
3	AGRA (M Corp.)	5	Lohamandi	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	75	100%
4	MORADABAD (M Corp.)	6	Kundanpur	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
5	GORAKHPUR (M Corp.)	7	Ward no-31	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
6	MUZAFFARNAGAR (NPP)	8	Railway Station ke paas	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
7	MATHURA (NPP)	9	Laxmi Nagar	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
8	MAUNATH BHANJAN (NPP)	10	Sahadatganj	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
9	RAEBARELI (NPP)	11	Dhaurhara	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
10	UNNAO (NPP)	12	AB Nagar	28.11.2014	NEW CONSTRUCTION	50	100%
11	MAINPURI (NPP)	13	Sringar Nagar	19.12.2014	NEW CONSTRUCTION	100	100%
12	KHURJA (NPP), BULANDSHAHAR	14	Khurza under Chungi	19.12.2014	NEW CONSTRUCTION	50	100%
13	CHANDAUSI (NPP), (SAMBHAL)	15	Ghatia Gate	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	69	100%
14	GONDA (NPP)	16	Mewatiyan Mohalla	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	60	100%
15	MAHOBA (NPP)	17	Raath Road, Near Navodaya vidyalaya	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
16	MAHARAJGANJ (NPP)	18	Chiuraha Maupakad	19.12.2014	NEW CONSTRUCTION	50	100%
17	Mugalsarai (Chandauli) (NPP)	19	Ali Nagar	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	50	95%
2	Loni-Gaziabad (NPP)	20	Ghaziabad- Loni Road	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
18	Balia (NPP)	21	Consumer Court parisar	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	56	95%
19	Bijnor (NPP)	22	Indira Bal Bhawan	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
20	Kasganj (NPP)	23	Ward no-11, Novelty Talkies Road	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	50	90%

Sl.No	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	Sanctioned Details		FOR NO. OF PERSON'S	Physical progress
				DPR SANCTIONED DATE	TYPE OF SHELTER (NEW CONSTRUCTION/ UP GRADATION)		
21	Robertsganj-Sonbhadra (NPP)	24	Purani Tahasil ke paas	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
22	ALIGARH (M Corp.)	25	Bhojpura	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	98%
23	Farrukhabad-(NPP)	26	CMO Office, Fatehgarh	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	96%
24	Meerut (M.Corp)	27	Mukut Mahal, Banquet Hall	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
		28	Baral Partaarpur	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	70	100%
		29	Rohta Road	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
		30	Garh Road	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
25	Rampur (NPP)	31	Mumtaj Park	30.06.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
26	Orai- Jalaun (NPP)	32	Lahariyapurwa	02.02.2016	NEW CONSTRUCTION	100	90%
27	Ghaziabad (M.Corp)	33	Sudamapuri	14.03.16	NEW CONSTRUCTION	100	95%

उक्त के साथ ही अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत 23.10.2017 को सुनवाई के दौरान शहर में जनगणना 2011 के अनुसार पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध न करा पाने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। जिसके संबंध में मिशन निदेशक/निदेशक सूडा द्वारा राज्य की तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में निम्न कार्यवाही तत्काल प्रथम वरीयता के क्रम में अनिवार्य रुप से की जानी है:-

1. एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत चयनित सभी 130 शहरों में शासनादेश के अनुक्रम में कार्यकारी समिति का गठन कर तत्काल बैठक कराते हुए भारत सरकार के वेबसाइट पर तुरन्त इन्ट्री कर दी जाय क्योंकि भारत सरकार के पोर्टल से प्रिन्ट निकाल कर प्रत्येक तिथियों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है।

2. सभी पूर्ण एवं निर्माणाधीन शेल्टर होम के लिए शासनादेश के अनुक्रम में तत्काल EC एवं शेल्टर मैनेजमेन्ट कमेटी का गठन कर बैठक कराते हुए इसकी भी तुरन्त इन्ट्री भारत सरकार के पोर्टल पर की जाय।

3. सभी शहर कार्यकारी समिति की इसी माह 01 बैठक कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर इन्ट्री करें। कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के संबंध में चर्चा एवं प्रगति का उल्लेख अवश्य अंकित किया जाय।

4. सभी पूर्ण शेल्टर होम का संचालन तत्काल प्रारम्भ किया जाय। संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, हस्तगत होने का प्रमाण पत्र, शेल्टर होम के बाहरी एवं अन्दर के फोटोग्राफ जिसमें उपलब्ध सेवायें/सुविधायें स्पष्ट दिखायी पड़ती हो, शेल्टर होम का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा का उल्लेख एवं शेल्टर होम निर्माण हेतु अवमुक्त अन्तिम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव प्रेषित करते हुए संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि सूडा से अवमुक्त करा ली जाय।

5. कार्यकारी समिति एवं शेल्टर मैनेजमेनट कमेटी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित मासिक बैठक कर इन्ट्री भारत सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जाय।

6. नगर निगम द्वारा एन0यू0एल0एम0 के अतिरिक्त जो भी शेल्टर होम संचालित है उन सभी शेल्टर होम के लिए भी शेल्टर मैनेजमेनट कमेटी का गठन कर उपरोक्तानुसार बैठक कराते हुए तत्काल इन्ट्री की जाय।

7. नगर निगम द्वारा संचालित सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल मय फोटोग्राफ के नगर निगम के समन्वयन से प्राप्त कर प्रत्येक दशा में 20.11.2017 तक एस0यू0एल0एम0 सूडा उ0प्र0, पर्यटन भवन को मेल

अथवा विशेष वाहक के द्वारा उपलब्ध कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर एस0यू0एल0एम0 एम0आई0एस0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

8. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 23.11.2017 को नियत है जिसके दृष्टिगत उपरेक्त सभी कार्यवाही सुनवाई से पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

EST&P- DAY-NULM के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों में प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति को देखते हुए निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गयाः–

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति	शहरों के नाम	निर्देश
1.	50% से कम और 40% से अधिक	रायबरेली, बलिया, गाजियाबाद, लोनी (गाजियाबाद), खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर), औरैया, महोबा, मुरादाबाद, गोरखपुर एवं प्रतापगढ़।	इन शहरों को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह नवम्बर, 2017 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह दिसम्बर, 2017 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो।
2.	40% से कम	खुर्जा (बुलन्दशहर), आजमगढ़, मऊ, ज्ञानपुर (भदोही), फिरोजाबाद, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), बस्ती, उरई (जालौन), मंझनपुर (कौशाम्बी), कासगंज	इन शहरों को सख्त निर्देश दिये गये कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह नवम्बर, 2017 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह दिसम्बर, 2017 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो अन्यथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी। • फिरोजाबाद, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं कासगंज (द्वितीय संस्था को) को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए माह नवम्बर, 2017 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करायें अन्यथा उक्त शहरों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मासिक समीक्षा बैठक में सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा MIS में सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) अपलोड किये जाने से पहले संबंधित शहर के सी0एम0एम0यू0/डूडा कार्यालय को सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्टर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्टर पर किये जायें एवं सेवायोजन का एन0य0ू एल0एम0 गाईडलाइन्स के मुताबिक ट्रैकिगं की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

EST&P के अन्तर्गत रामपुर को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में सभी असेसिंग बॉडीस को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

NSDC Partner संस्थाओं से संबंधित 46 शहरों को निर्देशित किया गया कि सभी NSDC Partner संस्थाओं से समन्वय करते हुए MoA हस्ताक्षरित कराकर प्रतिलिपि NSDC Partner संस्थाओं को उपलब्ध कराये ताकि MoA की प्रतिलिपि एस0यू0एल0एम0 को प्राप्त होने पर NSDC Partner संस्थाओं को यूजर आई0डी0 पासर्वड जारी किया जा सके। प्रयास यह किये जाये कि प्रत्येक दशा में 20 नवम्बर, 2017 तक प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत चयनित सभी शहरों में सर्वे पूर्ण करने, सर्वे प्रारम्भ करने एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार करने हेतु निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गयाः–

क्र. सं.	शहर का नाम	सर्वेक्षित पथ विक्रेता	अनुमोदन बैठक की तिथि	प्लान		निर्देश/अभ्युक्ति
				प्लान उपलब्ध कराने का समय	अब तक कितना समय हो गया	
1	2	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	8124	21.05.15	6 माह	28 माह	इन सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि टाउन वेडिंग कमेटी एवं नगरीय निकाय से शहरी पथ विक्रेता प्लान को अनुमोदित कराते हुए 30.11.2017 तक अनिवार्य रुप से शहर पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत समिति से अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये। समस्त एजेन्सी सर्वे का कार्य 30.11.2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराए। बायोमैट्रिक नामांकन, आधार नं0 एंव मोबाइल नं0 प्रत्येक वैन्डर का प्राप्त करना आवश्यक है।
2	मेरठ	18250	30.06.15	6 माह	27 माह	
3	वाराणसी	24472	21.08.15	6 माह	26 माह	
4	फिरोजाबाद	10000	21.08.15	6 माह	26 माह	
5	मुजफ्फरनगर	4450	21.08.15	6 माह	26 माह	
6	लखनऊ	26408	21.08.15	6 माह	26 माह	
7	कानपुर	14494	21.08.15	6 माह	26 माह	
8	अलीगढ़	5470	01.12.15	6 माह	23 माह	
9	गोरखपुर	7757	01.12.15	6 माह	23 माह	
10	इलाहाबाद	13809	01.12.15	6 माह	23 माह	
11	गाजियाबाद	23262	01.12.15	6 माह	23 माह	
12	मुरादाबाद	8750	01.12.15	6 माह	23 माह	
13	झांसी	7638	01.12.15	6 माह	23 माह	
14	आगरा	23650	02.02.16	6 माह	21 माह	
1	बरेली	6200	18.11.16	6 माह	11 माह	इन सभी शहरों को अवगत कराया गया कि सर्वे और शहर पथ विक्रेता प्लान तैयार करने का निविदा के अनुसार अधिकतम समय छः माह है और अभी तक इन शहरों में सर्वे पूर्ण नही हुआ है। अतः इन शहरों को निर्देशित किया गया कि एक माह में सर्वे पूर्ण कराते हुए शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें।
2	मऊ	2509	18.11.16	6 माह	11 माह	
3	मथुरा	6500	18.11.16	6 माह	11 माह	
4	जौनपुर	2000	18.11.16	6 माह	11 माह	
5	लोनी	9600	18.11.16	6 माह	11 माह	
6	बुलन्दशहर	1318	18.11.16	6 माह	11 माह	
7	उन्नाव	1800	18.11.16	6 माह	11 माह	
8	हापुड़	**500**	12.06.17	6 माह	4 माह	इन सभी शहरों को अवगत कराया गया कि सर्वे और शहर पथ विक्रेता प्लान तैयार करने का निविदा के अनुसार अधिकतम समय छः माह है और अभी तक इन शहरों में सर्वे पूर्ण नही हुआ है। अतः इन शहरों को निर्देशित किया गया कि एक माह में सर्वे पूर्ण कराते हुए शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें।
9	शांहजहांपुर	**2800**	12.06.17	6 माह	4 माह	
10	सम्भल	**150**	12.06.17	6 माह	4 माह	
11	मिर्जापुर	**1573**	12.06.17	6 माह	4 माह	
12	फैजाबाद	**1955**	12.06.17	6 माह	4 माह	
13	अमरोहा	**4000**	12.06.17	6 माह	4 माह	
14	हरदोई	**500**	12.06.17	6 माह	4 माह	
15	फतेहपुर	**183**	12.06.17	6 माह	4 माह	
16	उरई	**700**	12.06.17	6 माह	4 माह	

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें परिचय पत्र, पथ विक्रय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग

प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। इसे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार की जायेगी।

SEP – दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत व्यक्तिगत में ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रगति संतोषजनक है जनपद यथा भदोही (ज्ञानपुर), बुलन्दशहर, खुर्जा (बुलन्दशहर), चन्दौली, मुगलसराय (चन्दौली), मैनपुरी, शामली, उन्नाव, जौनपुर, फिरोजाबाद, अमरोहा, औरैया, बदायूँ, बिजनौर, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात, पीलीभीत, चन्दौसी (सम्भल), सम्भल, सन्तकबीर नगर, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर), सिद्धार्थनगर, अमेठी, बलरामपुर, एटा, फतेहपुर, गोण्डा, कौशाम्बी, लखीमपुर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, श्रावस्ती एवं सीतापुर द्वारा प्रथम तिमाही में निर्धारित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त किया गया है, शेष जनपदों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नही की गयी है।

SEP(G) तथा SEP(Group Linkage) के अन्तर्गत निम्न जनपदों द्वारा बहुत ही खराब कार्य किया गया है जिस पर निदेशक महादेय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा भविष्य के लिए सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि माह अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य माह नवम्बर का लक्ष्य सम्मिलित करते हुए 30.11.2017 तक लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। संबंधित जनपदों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा शहर मिशन प्रबन्धकों की आबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	जनपद/शहर का नाम	SEP(G)	SHG Bank Linkage
1.	बस्ती	–	0
2.	हमीरपुर	0	0
3.	झांसी	1	0
4.	कन्नौज	0	0
5.	कानपुर देहात	0	0
6.	महोबा	0	0
7.	मुरादाबाद	1	0
8.	रामपुर	1	0
9.	शाहजहॉपुर	0	0
10.	बरेली	0	5
11.	बिजनौर	0	6
12.	आगरा	1	22
13.	गाजियाबाद	1	0
14.	मोदीनगर (गाजियाबाद)	0	0
15.	आजमगढ़	0	0
16.	बलिया	0	4
17.	भदोही	0	0
18.	चन्दौली	0	0
19.	मुगलसराय (चन्दौली)	0	0
20.	गाजीपुर	0	0
21.	हरदोई	0	0
22.	मऊ	0	0
23.	सोनभद्र	0	0
24.	रायबरेली	1	0
25.	अलीगढ़	2	11
26.	इलाहाबाद	2	0
27.	कासगंज	0	2
28.	कुशीनगर	0	0
29.	अम्बेडकर नगर	0	0

क्र0 सं0	जनपद/शहर का नाम	SEP(G)	SHG Bank Linkage
30.	अमेठी	0	0
31.	बाराबंकी	1	0
32.	एटा	0	6
33.	फैजाबाद	0	0
34.	फतेहपुर	0	1
35.	गोरखपुर	0	16
36.	हाथरस	0	10
37.	महाराजगंज	0	1
38.	श्रावस्ती	0	2
39.	सुल्तानुपर	0	6
40.	देवरिया	–	0
41.	गोण्डा	–	0
42.	कुशीनगर	0	0
43.	सीतापुर	–	0
44.	बागपत (बड़ौत)	0	0
45.	वाराणसी	5	3

इसके अतिरिक्त जनपद बागपत (बड़ौत), वाराणसी, इलाहाबाद, कुशीनगर (पड़रौना), मेरठ एवं कासगंज द्वारा निर्धारित मानक के सापेक्ष या तो प्रगति शून्य है या तो बहुत ही निम्न है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये है कि अक्टूबर तक के निर्धारित लक्ष्यों तथा माह नवम्बर, 2017 तक के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी। इन जनपदों द्वारा समीक्षा बैठक में आश्वासन दिया गया है कि 30 नवम्बर, 2017 तक प्रत्येक दशा में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर ली जायेगी।

CB&T– दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक क्षतमा संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- समीक्षा बैठक में जनपद यथा गाजीपुर, बांदा, बस्ती, अमेठी, फैजाबाद, रायबरेली एवं बिजनौर के शहर मिशन प्रबन्धकों तथा झांसी शहर के श्री आदित्य कुमार सैनी, शहर मिशन प्रबन्धक, अलीगढ़ शहर के श्री राधे श्याम, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के अन्तर्गत घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति में इनको नोटिस कार्य सुधार हेतु तथ्यों सहित तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- समीक्षा बैठक में जनपद सीतापुर शहर के परियोजना अधिकारी के उपस्थित न होने के कारण सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया जिनको योजना से संबंधित कोई भी जानकारी नही है, जिसके दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- गौतमबुद्ध नगर शहर के लेखाकार द्वारा कार्यालय के पत्रालेखों पर परियोजना अधिकारी के स्थान पर हस्ताक्षर किये जा रहे है साथ ही सहायक परियोजना अधिकारी के कार्य भी लेखाकार द्वारा किये जा रहे है। अतः किन नियमों के तहत लेखाकार द्वारा यह कार्य किये जा रहे है, तत्काल प्रभाव से इस संबंध में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को पत्र भेजा जाए।
- जनपद यथा बागपत एवं भदोही शहर के परियोजना अधिकारी द्वारा बैठक में प्रतिभाग नही किया गया। अतः इनका स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद यथा अमेठी, कासगंज, बिजनौर एवं बांदा शहर के शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा DAY-NULM के अन्तर्गत घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति में माह नवम्बर, 2017 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद फैजाबाद के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सुश्री गरिमा सरोज, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा मिशन में कोई भी रुचि नही ली जाती है और ना ही कोई कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। जनपद फैजाबाद की प्रगति समस्त घटको में साथ ही इनके द्वारा कार्यालय द्वारा जारी नोटिसों को रिसीव नही किया जाता है। जिसके दृष्टिगत इनका तत्काल प्रभाव से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में DAY-NULM के अन्तर्गत पूर्व में चयनित 82 शहरों के अतिरिक्त चयनित 48 शहरों में एक्जीक्यूटिव कमेटी (EC) का तत्काल गठन कर बैठक का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद मऊ के पूर्व परियोजना अधिकारी को निर्देश दिया गया कि नये परियोजना अधिकारी को अपडेटड कैश बुक 02 दिन के अन्दर प्रदान करें।
- राज्य मिशन प्रबन्धकों को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने घटकों की साप्ताहिक समीक्षा करें।

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

आई0एच0एस0डी0पी0– योजनान्तर्गत समीक्षा बैठक के दौरान परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके है जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट प्रमाण पत्र डूडा के माध्यम से सूडा मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।
इसी कम में सम्बन्धित परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन कार्यो की समस्त औपचारिकओं को पूर्ण कराते हुये **माह– नवम्बर 2017** तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र एव कम्पलीशन सार्टीफिकेट प्रेषित करना सुनिश्चित करे। विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आवासों की सं0
1	अलीगढ़	एलमपुर	384
2	अलीगढ़	इन्दिरा नगर	425
3	अलीगढ़	जमालपुर	168
4	इलाहाबाद	कुरांव	192
5	अमरोहा	जोया	42
6	बलरामपुर	पचपेड़वा	48
7	बलरामपुर	उतरौला	60
8	बाराबंकी	रामगढ़	96
9	बरेली	नवाबगज	48
10	बुलन्दशहर	छतारी	112
11	बुलन्दशहर	खानपुर	96
12	चन्दौली	मुसलसरांय	219
13	एटा	भूतेश्वर बस्ती	96
14	एटा	निधिकला	60
15	एटा	आवागढ़	96
16	फैजाबाद	बीकापुर	84
17	फैजाबाद	रामनगरी रतीया	397
18	फतेहपुर	फतेहपुर	216
19	गाजियाबाद	डासना	204
20	गाजियाबाद	अर्थला	208
21	गाजियाबाद	डूडा हेड	1236
22	गाजीपुर	सादात	36
23	हमीरपुर	करौरा	132
24	झांसी	पिछोर	144

25	कानपुर देहात	शिवली	132
26	कुशीनगर	मालवीय नगर	81
27	कुशीनगर	अम्बेडकर नगर	100
28	लखनऊ	महोना	762
29	महोवा	महोवा	84
30	मैनपुरी	किसनी	439
31	मैनपुरी	घिरौर	208
32	मथुरा	छाता	48
33	मेरठ	नन्दगांव	192
34	मेरठ	राया	48
35	मेरठ	खरखौंदा	96
36	मेरठ	हस्तिनापुर	258
37	मिर्जापुर	मिर्जापुर	457
38	मुरादाबाद	उमरीकला	261
39	मुरादाबाद	फाजलपुर	48
40	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	210
41	मुरादाबाद	भटावली	127
42	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर	146
43	पीलीभीत	पीलीभीत	885
44	प्रतापगढ़	बेलहा	421
45	प्रतापगढ़सिटी	प्रतापगढ़सिटी	410
46	प्रतापगढ	अन्तू	470
47	रामपुर	बगीचा आमना	120
48	संतकबीरनगर	हरिहरपुर	144
49	उन्नाव	अकरमपुर	177
50	उन्नाव	उगू	120
51	उन्नाव	लोधनहार	96
52	उन्नाव	नवाबगंज	144
53	उन्नाव	हैदराबाद	128

इसी प्रकार आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जिन परियोजनाओं के कार्य निर्माणाधीन है उन्हें प्रत्येक दशा में **माह दिसम्बर 2017** तक प्रत्येक दशा में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट डूडा के माध्यम से सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आवासों की सं0
1	आजमगढ़	आजमगढ़	346
2	आजमगढ़	बिलरियागंज	111
3	अम्बेडकर नगर	किछौछा	72
4	अमरोहा	अमरोहा	79
5	अमरोहा	हसनपुर	36
6	बदायूं	उझानी	128
7	बागपत	बड़ौत	160
8	बलिया	बलिया	150

9	बांदा	विसण्डा	96
10	बांदा	नरैनी	72
11	बरेली	सनोआ	120
12	बस्ती	बस्ती	114
13	बहराइच	बहराइच	276
14	बिजनौर	झालू	450
15	बुलन्दशहर	बुगरासी	192
16	बुलन्दशहर	बुगरासी	239
17	बुलन्दशहर सिटी	बुलन्दशहर सिटी	750
18	बुलन्दशहर	खुर्जा	119
19	देवरिया	लार	1090
20	इटावा	जसवंतनगर	240
21	इटावा	जसवंतनगर	228
22	फैजाबाद	फेस–2	1197
23	फैजाबाद	गोसाईगंज	72
24	फरूर्खाबाद	मोहम्मदाबाद	132
25	गौतमबुद्ध नगर	दादरी–2	154
26	गौतमबुद्ध नगर	जेवर	144
27	गौतमबुद्ध नगर	दनकौर	36
28	गाजियाबाद	फरीदीनगर	288
29	गोरखपुर	पी0पी0गंज	350
30	गोरखपुर	गोरखपुर	218
31	गोरखपुर	गोरखपुर	433
32	जालौन	कदौरा	156
33	जालौन	कालपी	120
34	जालौन	उरई	288
35	कन्नौज	सौरिख	108
36	कौशाम्बरी	अजुहा	144
37	ललितपुर	पाली	144
38	मथुरा	वृन्दावन	276
39	मथुरा	महावन	72
40	मथुरा	कोशीकला	384
41	मऊ	मऊ	374
42	मेरठ	हस्तिनापुर	58
43	मेरठ	लावड़	359
44	मिर्जापुर	मिर्जापुर	850
45	मिर्जापुर	चुनार	216
46	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	846
47	प्रतापगढ़	कुण्डा	16
48	रायबरेली	रायबरेली	340
49	रामपुर	रामपुर	300
50	सीतापुर	विसवां	252
51	सुल्तानपुर	घोसीगंज	81

बी0एस0यू0पी0–

बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–आगरा, मथुरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं लखनऊ के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कम्पलीशन सार्टीफिकेट प्रेषित करे। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। जनपद–मथुरा, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, रामपुर, कन्नौज, मुजफ्फरनगर एवं गोरखपुर के परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो जनपद स्तरीय कमेटी की अनुमति लेकर धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये। अवस्थापना सुविधा की लम्बित डी0पी0आर0 पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया की वित्तीय वर्ष 2017–18 में आसरा योजनान्तर्गत रू0 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अतः उक्त धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे आरम्भ अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने हेतु द्वितीय किश्त/मूल्यवृद्धि तथा अवस्थापना के प्रस्ताव तथा व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- यदि किसी स्वीकृत परियेाजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि तत्काल मुख्यालय को वापस कर दें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि नई संचालित मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना का शासनादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। अतः

उक्त के दृष्टिगत सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे शासनादेश के अनुरूप नई डी0पी0आर0 तैयार कराकर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप ''क'' एवं ''ख'' पर गुणवत्ता/ विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

ई–रिक्शा योजना

निर्देशित किया गया कि मोटर–बैटरी चालित ई–रिक्शा योजना मद में यदि धनराशि अवशेष पड़ी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस कर दिया जाये। अभिकरण मुख्यालय के पूर्व निर्गत पत्र संख्या–1705 दिनांक 04.08.17 के क्रम में पुनः निर्देशित किया गया कि सभी परियोजनाधिकारी ई–रिक्शा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा निविदा पत्र के सापेक्ष निर्धारित मानक के अनुरूप जनपद में स्थापित चार्जिंग/सर्विस सेन्टर का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन आख्या तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करें। आख्या में इन सेन्टर के कार्यशील होने/लाभार्थी के रिक्शों की मानक अनुसार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने/न कराने सम्बन्धी बिन्दु सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित करें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

ऊषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों– बहराइच, इटावा, मऊ, मुज्जफरनगर, को निर्देशित किया गया कि इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें एवं अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को एक सप्ताह में वापस करना सुनिश्चित करें। इसमें पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है, अतः प्राथमिकता अपेक्षित है।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद– औरैया, बागपत, सहारनपुर, इटावा, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे एक सप्ताह में मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

आई.एल.सी.एस.–

पूर्व संचालित आई.एल.सी.एस. योजनान्तर्गत जनपद– बरेली, बागपत, एटा, फरूर्खाबाद, मेरठ, रामपुर के परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि वापस करने अथवा उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बैलेंस शीट/आडिट रिपोर्ट–

समीक्षा बैठक में वित्त नियन्त्रक, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की बैलेंसशीट जनपद– शामली, आजमगढ़, मथुरा, भदोही, शाहजहांपुर, सम्भल, रामपुर, झांसी, बांदा, महोबा, औरैया, फर्रूखाबाद, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, एटा, हाथरस एवं कासगंज से अभी तक मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। तत्क्रम में सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराते हुए बैलेंसशीट तैयार कराकर तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गये तथा जहां बैलेंसशीट तैयार करने हेतु सी0ए0 जनपदों से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुख्यालय से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश भी दिए गए।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद– रामपुर, संतकबीरनगर, कानपुरनगर, गोरखपुर, सहारनपुर एवं एटा के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत डाटा–प्रमाणीकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि जिन नगर निगमों/निकायों में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य अपूर्ण है उन नगर निगमों में तत्काल जोनवार कार्य को बाटकर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायें।

2– समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि उनके जनपद/निकाय में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है तो वे अपने स्तर से विशेष प्रयास करते हुए मैनपावर उपलब्ध कराकर उक्त कार्य को प्रत्येक दशा में 20 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाएगा।

3– बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 1.00 लाख आवासों (बी.एल.सी.) की डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत करायी जानी है। अतः इस दिशा में त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4– समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि परियोजना अधिकारी एवं सम्बन्धित कन्सलटेन्ट के मध्य परस्पर सामंज्स्य न होने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं आ पा रही है। अतः निर्देशित किया गया कि सभी परियोजना अधिकारी/कन्सलटेन्ट परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए नियमित रूप से एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हुए कार्य में आपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

5– समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त नगरीय निकायों में 30 नवम्बर,2017 तक डाटा प्रमाणीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कराते हुये प्लान ऑफ एक्शन तैयार कराना भी सुनिश्चित किया जाये।

6– सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन निकायों की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी हैं वहाँ ग्राउण्डिंग का कार्य चरणबद्ध प्रकिया के अनुसार तत्काल प्रारंभ किया जाये। यह भी निर्देश दिए गये कि ग्राउन्डिंग प्रारम्भ कराने से पूर्व लाभार्थी का सत्यापन अवश्य कर लिया जाये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

उक्त के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में पी0एफ0एम0एस0 (PFMS) प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा डे–एन0यू0एल0एम0 योजनान्तर्गत भुगतान किए जाने के संबंध में सभी परियोजना अधिकारियों तथा सी0एम0एम0 को पोर्टल पर भुगतान किए जाने के संबंध में आ रही समस्याओं का निराकरण कराने हेतु पुनः प्रशिक्षण दिया गया।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–3177 /110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 17/11/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक